108वीं सालगिरह पर होगा कार्यक्रमों का आयोजन

लखनऊ। सेंट्रल बार एसोसिएशन की 108वीं वर्ष गांठ के अवसर पर 3 सितंबर को एक समारोह का आयोजन गांधी भवन में किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र पांडेय ने बताया कि समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक एवं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति अनंत कुमार उपस्थित रहेंगे।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
अति अल्पकालीन निविदा
सूचना अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित निविदा के समक्ष उनके सम्मुख अंकित कार्यों को संपादित कराने हेतु अनुभवी एवं दक्ष ठेकेदारों से दो भागों में अलग–अलग मुहरबन्द निविदायें दिनाँक 03.09.2016 को 14.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन 15.00 बजे निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके नामित प्रतिनिधि के द्वारा खोली जायेंगी। निविदा खुलने की तिथि को अवकाश होने की स्थिति में निविदायें उपरोक्त निर्धारित समय तक अगले कार्य दिवस में प्राप्त/खोली जायेंगी। निविदा के प्रथम भाग में (1) धरोहर राशि, (2) विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी "क" श्रेणी प्रमाण पत्र (3) सेवाकर विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) फर्म की साख की पुष्टि हेतु अभिलेख (5) अनुभव के संबंध में विगत वर्षों में समान कार्य को संपादित करने संबंधी अनुबन्ध/अनुबन्धों की सूची प्रस्तुत करना होगा। निविदा के द्वितीय भाग में मदवार दरें व वाणिज्यिक शर्तें देनी होंगी। निविदित कार्य की मात्रा 10% तक घट – बढ़ सकती है। प्रत्येक निविदा प्रपत्र का मूल्य रु0 550.00 (अप्रतिदेय) व्यापार कर सम्मिलित करते हुए, **अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला खण्ड लखनऊ** के कार्यालय में नगद भुगतान कर खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राप्त किया जा सकता है। **निविदा प्रपत्र मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि. की वेबसाइट www.mvvnl.in से भी प्राप्त / डाउनलोड किये जा सकते हैं।** वेब साइट से प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र का मूल्य का बैंक ड्राफ्ट निविदा के प्रथम भाग में रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक निविदा की धरोहर राशि निविदा के सम्मुख अंकित का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी **एफडीआर / सीडीआर / टीडीआर अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला खण्ड, लखनऊ के पक्ष मे देय संलग्न करना होगा।** निविदा के प्रथम भाग में वॉछित अर्हकारी शर्तें पूर्ण करने वाले निविदादाताओं की ही निविदा का द्वितीय भाग यथा सम्भव उसी दिन खोला जायेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
1. **निविदा सं. 54/वि.का.मं./2016–17** : "विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला बदायूँ में 25 केवीए क्षमता के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के मरम्मत के कार्य को संपादित कराने का कार्य। धरोहर धनराशि रु0 25000.00।
2. **निविदा सं. 55/वि.का.मं./2016–17** : "विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला बदायूँ में 10 केवीए एवं 16 केवीए क्षमता के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के मरम्मत के कार्य को संपादित कराने का कार्य। धरोहर धनराशि रु0 5000.00। 3. **निविदा सं. 56/ वि.का.मं./ 2016–17 :** "विद्युत परिवर्तक मरम्मत कार्यशाला बदायूँ में 160 केवीए से 630 केवीए क्षमता के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के मरम्मत के कार्य को संपादित कराने का कार्य। धरोहर धनराशि रु0 25000.00। (1) उक्त निविदा में उल्लिखित कार्य को एक से अधिक निविदादाताओं के मध्य आवंटन का अधिकार है। **अधीक्षण अभियन्ता** विद्युत कार्यशाला मण्डल, मविविनिलि0, लखनऊ। पत्रांक 2061, दिनांक 29.08.2016, **"राष्ट्र हित में बिजली बचायें"**

विधान परिषद की कार्यवाही

सूखाग्रस्त किसानों की मदद के मुद्दे पर भिड़े सपा–भाजपा सदस्य

● राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने किया सदन से वाकआउट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों को मदद के मुद्दे पर विधान परिषद में सोमवार को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बीच भिड़ंत हुई। सपा ने केंद्र की भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि प्रदेश की ओर से मांगी गई धनराशि के एवज में वर्ष 2014 में खरीफ के मद में मात्र 10.2 प्रतिशत धनराशि ही दी। इसी तरह वर्ष–2015 में खरीफ में मात्र तीस फीसदी धनराशि और रबी के मद में अभी तक कोई धनराशि नहीं दी है। वहीं भाजपा सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार ने उतनी ही धनराशि बांटी है जितनी केंद्र सरकार ने दी। सरकार ने अपने संसाधनों से कोई धनराशि नहीं बांटी है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।

विधान परिषद सदन की कार्यवाही सोमवार को पूर्वान्ह 11 बजे सभापति रमेश यादव के सभापतित्व में प्रारंभ हुई। आज प्रश्नप्रहर सुचारू रूप से चला। सपा के सदस्य शतरूद्र प्रकाश ने राजस्व मंत्री से प्रश्न किया कि प्रदेश में विगत व्यापक सूखे से आई आपदा को दूर करने के लिए सूखा पीड़ित किसानों में राहत राशि वितरित करने के लिए केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी तथा प्रदेश सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की थी। शतरूद्र प्रताप के सवाल पर सरकार के जवाब के बाद भाजपा और सत्ता पक्ष के बीच नोक–झोंक हुई। सरकार ने केंद्र पर मांग के अनुरूप धनराशि न दिये जाने का आरोप लगाते हुए केन्द्र सरकार को किसानविरोधी करार दिया जबकि सरकार के जवाब पर भाजपा सदस्य डा.महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जितनी धनराशि केन्द्र ने दो वर्षों में दी है मात्र उतनी ही धनराशि सरकार ने किसानों में बांटी है।

नेता सदन अहमद हसने ने बताया कि वर्ष 2014 में 4794.89 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जबकि भारत सरकार से 490.28 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। इसी तरह वर्ष 2015 में 2057.79 करोड़ की धनराशि की मांग की गई थी, जिसमें भारत सरकार से 934.32 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। सूखे से प्रभावित किसानों को अब तक कुल 1468.10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। सरकार ने कहा केन्द्र किसानों की दुश्मन सरकार है। राहत के लिए धन देने में केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्य के 18 जिले सूखे से गंभीर स्थिति में है। गंभीर समस्या पर अनदेखी उचित नहीं है। भाजपा के डॉ. यज्ञदत्त शर्मा एवं डा.महेन्द्र कुमार सिंह ने अनुपूरक प्रश्न किए। सरकार के जवाब से असंतुष्ट भाजपा के सदस्यों ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वाकआउट किया।

शून्य प्रहर में सपा के शतरूद्र प्रकाश ने बीती 24 अगस्त को भाजपा के प्रदर्शन के कार्यक्रम के कारण सदन में भाग लेने में व्यवधान होने के संबंध का मामला औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया। सभापति ने सूचना को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा किया।

बसपा के प्रदीप कुमार जाटव ने पूर्व सभापति विधान परिषद् को पूर्व की भांति सुरक्षा उपलब्ध कराने के मामले की औचित्य के प्रश्न के रूप में सूचना दी। नेता प्रतिपक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पूर्व की भांति पर्याप्त सुरक्षा दिये जाने की बात कही। सभापति ने सरकार को प्रकरण दिखवा लेने के निर्देश दिए।

दोपहर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बसपा के नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रदीप कुमार जाटव, अतर सिंह एवं अन्य सदस्यों ने प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराये जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। चेत नारायण सिंह, अ बका चौधरी एवं नेता विरोधी दल नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने विचार व्यक्त किए। नेता सदन में सदन को तथ्यों से अवगत कराया। शिक्षक दल के ओम प्रकाश शर्मा, जगवीर किशोर जैन, हेम सिंह पुण्डीर एवं अन्य सदस्यों ने प्रदेश के विद्यालयों का शिक्षा सत्र पूर्ववत् पहली जुलाई से ही प्रारम्भ किये जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया।

कांग्रेस के दिनेश प्रताप सिंह, दीपक सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नि:शुल्क पुस्तक वितरण में हो रहे विल ब का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर दीपक सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, अम्बिका चौधरी, दिनेश प्रताप सिंह, उमेश द्विवेदी ने विचार व्यक्त किये। नेता सदन ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। नेता सदन के जवाब से असंतुष्ट होने पर कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।

तीन विधेयक हुए पास

नेता सदन के प्रस्ताव पर तीन विधेयक उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन), विधेयक 2016, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन), विधेयक 2016 और उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन), विधेयक 2016 विचार के बाद ध्वनिमत से पारित हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल मंगलवार अपारन्ह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर कर दी गई।

विधानसभा की कार्यवाही

कांग्रेस ने क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत संशोधन विधेयक के खिलाफ किया बहिर्गमन

● सपा सरकार विधानसभा में बहुमत का कर रही है दुरुपयोगः भाजपा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ। चार दिनों के अवकाश के बाद विधानसभा की बैठक सोमवार को शुरू हुई और मात्र चालीस मिनट में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन विधेयक 2016, उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) संशोधन विधेयक 2016, बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक 2016, उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक 2016, संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उ.प्र. विधेयक 2016, एमिटी विश्वविद्यालय उ.प्र. संशोधन विधेयक 2016, राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक 2016, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत संशोधन विधेयक 2016 सदन में रखे गए। क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत संशोधन विधेयक के खिलाफ कांग्रेस ने बर्हिगमन किया तो वहीं भाजपा ने भी उसका विरोध किया।

सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय के निर्देश पर समूचे सदन ने दिवंगत 18 भूतपूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। दिवंगत भूतपूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को एक बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही पंचायती राज मंत्री राज किशोर सिंह ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत संशोधन विधेयक 2016 सदन के पटल पर रखा। इसके विरोध में कांग्रेस के सदस्य प्रदीप माथुर ने संशोधन का प्रस्ताव पेश करने की नोटिस दी लेकिन अध्यक्ष के बुलाने पर वह अनुपस्थित रहे। भाजपा के नेता सुरेश खन्ना ने विधेयक का विरोध किया।

आज सदन में उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गयी जब विधानसभा में प्रस्तुत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत संशोधन विधेयक 2016 के खिलाफ संशोधन प्रस्ताव पेश करने वाले कांग्रेस सदस्य प्रदीप माथुर, अनुग्रह नारायण सिंह, दलजीत सिंह तथा गयादीन अनुरागी अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा कई बार पुकारे जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे। भाजपा के सुरेश कुमार खन्ना ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सपा सरकार विधानसभा में बहुमत का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि 2012 में सत्ता में आने पर सपा सरकार ने बसपा के ब्लाक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का कार्यकाल एक साल किया था। अब सपा के प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को बचाने के लिए सरकार दो साल का कार्यकाल बढ़ाने के लिए विधेयक ला रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार ने अपना ही फैसला पलट दिया है। अब क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के अध्यक्षों, प्रमुखों के खिलाफ दो साल बाद ही दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होगा। जबकि वर्तमान सरकार ने दो साल पहले एक संशोधित विधेयक के जरिये इन पदों का कार्यकाल दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष ही किया था। सरकार का अपना ही फैसला पलटना कई सवाल उठाता है। खन्ना ने सरकार से अपना ही फैसला बदलने का कारण जानना चाहा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया।

विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री मो. आज़म खां ने सदन की राज्यपाल एवं अध्यक्ष दीर्घा में बैठे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी एवं सुखदेव राजभर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की सराहना करते हुए सदन की ओर से बधाई दी।

पूर्व राज्यपाल के निधन पर दुख जताया

लखनऊ। राज्यपाल राम नाईक ने उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल शफी कुरैशी के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। नाईक ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए दु:खी परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रेषित की है।

राम नाईक से मिले केशरी नाथ त्रिपाठी

राज्यपाल राम नाईक से सोमवार को राजभवन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने भेंट की।

RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED
(Formerly Known as Rich Capital & Financial Services Limited)
Regd. Office: 7/125, C-2, IInd Floor, Swaroop Nagar, Kanpur – 208002
CIN: L65921UP1990PLC012089, Website: www.richuninet.com
Ph. No. 0512-3391881, Tele Fax: 0512-2540293,
E-mail: rcfsl@rediffmail.com, investors@richuninet.com
NOTICE
Members of the company are hereby informed that pursuant to Section 110 of The Companies Act, 2013 read with Rule 22 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended, the dispatch of the Postal Ballot Notice dated 25th August, 2016 (alongwith the Explanatory Statement and Postal Ballot Form) to the Members of the Company, in respect of Resolution(s) under Section 186 of the said Act, has been completed on 29th August, 2016. The said documents were sent in electronic mode to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories and in physical mode to the other Members through permitted mode.
The aforesaid resolution(s) are to be transacted by means of Postal Ballot and Electronic Voting (E-voting) in terms of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. The Central Depository Services (India) Limited has been engaged by the Board of Directors of the Company for providing the E-voting platform.
Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the **cut-off date 19th August, 2016** will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or E-voting. A person who is not a Member of the Company on the **Cut-off date** should accordingly treat the Postal Ballot Notice as for the information purposes only.
Miss Neha Jain, Practicing Company Secretary (CP No. 10628) has been appointed as the scrutinizer for conducting the postal ballot process in a fair and transparent manner. **Voting through Postal Ballot and E-voting will commence on 31st August, 2016 at 9:00 Hours IST and will close on 29th September, 2016 at 17:00 Hours IST**. Members are requested that the Postal Ballot Form duly filled and completed by them should reach to the Scrutinizer not later than 17:00 Hours IST on 29th September, 2016. Postal Ballot forms received after the close of working hours on 29th September, 2016 will be considered invalid. E-voting will be blocked by CDSL at **17:00 Hours IST on 29th September, 2016**.
Members seeking duplicate Postal Ballot Forms, can write to the Company Secretary, Rich Universe Network Limited, IInd Floor, 7/125, C-2, Swaroop Nagar, Kanpur – 208002 or e-mail at investors@richuninet.com.
In case of any query/grievances, Members / Beneficial Owners may refer to the Frequently Asked Questions for Shareholders and e-voting User Manual available at the CDSL website: www.evotingindia.com or contact at toll free number 1800-200-5533 or our Registrar and Share Transfer Agent, Skyline Financial Services Private Limited, Mr. Virender Rana, Vice President on Tel: +91-11-64732681 to 88 or E-mail at: virenr@skylinerta.com, or Ms. Mallika Gupta, Company Secretary of the Company at telephone nos. 0512-3391881, 2540293 or at E-mail ID: investors@richuninet.com.
The results of the Postal Ballot and E-voting will be declared on or before Thursday, 6th October, 2016 at the Registered Office of the Company. Such results, alongwith the Scrutinizer's Report, will be available on Company's website under the section of Investors and will be forwarded to the Central Depository Services (India) Limited, BSE Limited (BSE).
The Postal Ballot Notice is available on the Company's website (www.richuninet.com), CDSL's E-voting website (www.evotingindia.com) and on the website of BSE (www.bseindia.com).
By order of the Board
Rich Universe Network Limited
Sd/-
Shashwat Agarwal
(CMD)
DIN: 00122799
Date: 29.08.2016
Place: Kanpur

उ0प्र0 पावर ट्रांसमीशन कार्पोरेशन लि0 **निविदा सूचना संख्या–02/ईएमटीडी (एल)2016–17** कारपोरेशन एवं शासन द्वारा स्वीकृत सरकारी प्रतिष्ठानों यथा यू0पी0 हैंडलूम कारपोरेशन, यूपिका, गाँधी आश्रम से निम्नानुसार कर्मचारियों की नाप के अनुसार सिली–सिलाई वर्दी की आपूर्ति हेतु निविदाऐं दो भागों में आमन्त्रित की जाती है :– **(क)** परिचालकीय/चतुर्थ श्रेणी पुरुष कर्मचारियों हेतु कोक रंग की टेरीकाट पैन्ट (80 प्रतिशत पालिस्टर तथा 20 प्रतिशत काटन) तथा बादामी रंग की टेरीकाट शर्ट (67 प्रतिशत पालिस्टर तथा 33 प्रतिशत काटन) सिलाई सहित – (20 सेट)। **(ख)** चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों हेतु (एक साड़ी एवं एक ब्लाउज रंग आसमानी नीला) सिलाई सहित – (3 सेट)। **(ग)** चतुर्थ श्रेणी पुरुष कर्मचारियों हेतु ऊनी वर्दी (एक बन्द गले का बटनदार कोट, एक पैन्ट एवं एक गाँधी टोपी के साथ) सिलाई सहित (18 सेट)। **(घ)** चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों हेतु ऊनी वर्दी (एक लाँग कोट) सिलाई सहित – (3 नग)। निविदा के प्रथम भाग में, अधिशासी अभियंता, विद्युत अनुतरंग एवं दूरसंचार खंड, लखनऊ के पक्ष में देय धरोहर राशि रु0 2500.00 का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है तथा साथ में अनुभव एवं अन्य विवरण होना चाहिए। निविदा के द्वितीय भाग में दरें एवं कपड़े का नमूना रखा होना चाहिए। निविदाएं इस कार्यालय में दि0 29.09.2016 अथवा अवकाश की दशा में अगले कार्य दिवस को 14:00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी एवं उसी दिन 15:00 बजे इच्छुक निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। **(अधिशासी अभियन्ता)** विद्युत अनुतरंग एवं दूरसंचार खण्ड, 9, कैसरबाग, सण्डीला हाउस, लखनऊ। पत्रांक 593, दिनांक 27.08.2016 **"राष्ट्र हित में ऊर्जा बचायें"**

यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए भूमिः रंजन

● समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे

लखनऊ। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि सेन्ट्रलाइज्ड मेगा कॉल सेन्टर परियोजनान्तर्गत समस्त 300 सीटों के मेगा कॉल सेन्टर एवं अतिरिक्त सीटों की स्थापना का कार्य पूर्ण कराते हुये लाभार्थियों से आउटबाउण्ड कॉलिंग के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करने का कार्य 16 सितम्बर तक प्रारम्भ कराया जाये। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से तीसरे समूह का प्रशिक्षण एवं साथ ही साथ प्रोडक्शन कार्य जनपद लखनऊ में निर्माणाधीन आईटी सिटी में ही आरम्भ कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि ट्रांसगंगा परियोजना में ऐन्कर उद्योगों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये साथ ही साथ इन्वेस्टर्स मीट का व्यापक–प्रसार, विशेषकर बिजनेस सम्बन्धी समाचार पत्र–पत्रिकाओं में कराया जाये।

मुख्य सलाहकार सोमवार को शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रोजेक्ट मानिटरिंग ग्रुप से सम्बन्धित बैठक की अध्यक्षता कर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ग्रीन फील्ड परियोजना हेतु किसानों से बैनामा सम्पादित कराये जाने के कार्यों में और अधिक गति लाकर आवश्यक भूमि की उपलब्धता यथाशीघ्र सुनिश्चित कराई जाये। बैठक में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास संजय अग्रवाल, महानिदेशक पर्यटन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा नवनीत सहगल, सचिव मुख्यमंत्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, स्टाफ आफिसर, मुख्य सलाहकार हृषिकेश भास्कर यशोद सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

'सर्वोच्च वरीयता से की जाए लापता नाबालिग बच्चों की बरामदगी'

● डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश

लखनऊ। डीजीपी एस.जावीद अहमद ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लापता नाबालिग बच्चों की बरामदगी की कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जाए।

इस संबंध में डीजीपी ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी को परिपत्र जारी किया गया। जिसके माध्यम से निर्देशित किया गया है कि जेजे एक्ट के अन्तर्गत सभी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग मानकर कार्रवाई की जाए। प्रत्येक खोए हुए बच्चों के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–363 भादवि के अन्तर्गत दर्ज की जाए। यदि शिकायतकर्ता का यह स्पष्ट आरोप है कि बच्चे का अपहरण किसी अपराध घटित करने के उद्देश्य से हुआ है, तो संदर्भित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाए। गुमशुदा बच्चों से संबंधित अपराध स्पेशल रिपोर्ट केस माने जाएं।

पूर्व निर्गत परिपत्रों के अनुसार समस्त कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात भी अगर बच्चे की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी छह माह के अन्दर न हो तो विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को हस्तान्तरित की जाए और इस विवेचना का पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाए। नए सिरे से क्षेत्राधिकारी के प्रयास किए जाने के पश्चात भी यदि तीन माह तक बच्चे की बरामदगी नहीं हो पाती है तो ऐसे प्रकरण की समीक्षा जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की जाए।

प्रो. मुन्ना सिंह के खिलाफ जांच समिति ने राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट

लखनऊ। राज्यपाल एवं कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय राम नाईक को सोमवार को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति (निलंबित) प्रोफेसर मुन्ना सिंह के विरुद्ध गठित तीन सदस्यीय अंतिम जांच समिति के अध्यक्ष बीडी चतुर्वेदी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्यपाल द्वारा अंतिम जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर समुचित निर्णय लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर मुन्ना सिंह द्वारा शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति–चयन में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकार की अनियमितताओं के संबंध में विश्वविद्यालय के 78 शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से 31 अक्टूबर 2014 को कुलाधिपति को शिकायत प्रत्यावेदन प्रेषित किया था। कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्ति–चयन प्रक्रिया में रोक लगाते हुए प्रोफेसर मुन्ना सिंह के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एसके त्रिपाठी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय प्रारम्भिक जांच समिति का गठन किया गया था।

प्रारम्भिक जांच समिति ने 8 अप्रैल 2015 को कुलाधिपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें प्रोफेसर मुन्ना सिंह को विश्वविद्यालय में चयन–नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता का दोषी पाया गया था। कुलाधिपति द्वारा पहली मई 2015 को कुलपति प्रोफेसर मुन्ना सिंह को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) बीडी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय अंतिम जांच समिति का गठन किया गया।

विरोधाभासी आंकड़े देने वाले मोदी को नहीं रहती तथ्यों की जानकारी : अजित

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अजित सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर मात्र प्रचार के प्रति आसक्त होने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि अक्सर अपने बयानों में विरोधाभासी आंकड़े देने वाले मोदी को तथ्यों की जानकारी नहीं रहती। अजित सिंह ने सोमवार को रालोद के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल में सहारनपुर में अपनी रैली के दौरान कहा कि किसानों का 700 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य बकाया रह गया है। खबरों में आया कि 700 नहीं बल्कि पांच हजार करोड़ रुपए बकाया है। फिर मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से कहते हैं कि उन्होंने किसानों के बकाया का 99 प्रतिशत मूल्य अदा करवा दिया है।

उन्होंने कहा कि मोदी को आंकड़ों के बारे में पता ही नहीं रहता।

वह किसानों का क्या भला करेंगे। मोदी को प्रचार बहुत अच्छा लगता है।

सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और अपराध चरम पर है। यह खुद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव स्वीकार कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। दरअसल हालात सुधारने की किसी की मंशा ही नहीं है। पूर्व केन्द्रीय कृषि मंत्री ने प्रदेश में विकराल हुई बाढ़ के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बांधों के रखरखाव के लिए आबंटित धनराशि को जिम्मेदार लोग हड़प कर गए।

विद्युत वितरण मण्डल, मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बरेली। अल्पकालीन निविदा सूचना **1–अल्पकालीन निविदा संख्या–138/विविमंब / 2016 – 17 –** विद्युत वितरण खण्ड – द्वितीय, बरेली के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड–इज्जतनगर में 33/11 केवी उपकेन्द्र रिठौरा एवं क्योलड़िया के विभिन्न स्थानों पर 100 से 250 केवीए परिवर्तक की क्षमता वृद्धि तथा 33/11 केवी इज्जतनगर से पोषित फरीदापुर चौधरी में जर्जर तारों को एबीसी कन्डक्टर से बदलने का कार्य। धरोहर राशि रू0 1500/– निविदा प्रपत्र रू0 500 + 15 प्रतिशत (कर सहित) का नकद भुगतान कर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। **2–अल्पकालीन निविदा संख्या 139/विविमंब/2016–17** जनपद बरेली में शासन के निर्देशानुसार विकास खण्ड स्तर पर विद्युत सुविधा केन्द्र के स्थापना हेतु 15 विकास खण्डों हेतु 15 मेज, 60 कुर्सी, 15 बेन्च, 15 सेफ्टी ग्लब एवं 15 सीढ़ी की आवश्यकता। धरोहर राशि रू0 4000/– निविदा प्रपत्र रू0 500 + 15 प्रतिशत (कर सहित) का नकद भुगतान कर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। **3–अल्पकालीन निविदा संख्या 140/विविमंब/2016–17** विद्युत वितरण खण्ड – द्वितीय, बरेली के अन्तर्गत 33/11 केवी उपकेन्द्र नवनिर्मित हाफिजगंज (क्षमता 1x5 एमवीए) के परिचालन हेतु 4 परिचालक (कुशल श्रमिक आई.टी.आई. पास) एवं लाइनों के अनुरक्षण हेतु 1 गैंग (प्रति गैंग 1 कुशल एवं 2 अकुशल श्रमिक) की आवश्यकता के सम्बन्ध में। धरोहर राशि रू0 10000/– निविदा प्रपत्र रू0 500 + 15 प्रतिशत (कर सहित) का नकद भुगतान कर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। **4 – अल्पकालीन निविदा संख्या 141/विविमंब/2016–17** विद्युत वितरण खण्ड – प्रथम, बरेली के अन्तर्गत 33/11 केवी उपकेन्द्र नवनिर्मित सरायतल्फी (क्षमता 1x5 एमवीए) के परिचालन हेतु 4 परिचालक (कुशल श्रमिक आई.टी.आई. पास) एवं लाइनों के अनुरक्षण हेतु 1 गैंग (प्रति गैंग 1 कुशल एवं 2 अकुशल श्रमिक) की आवश्यकता के सम्बन्ध में। धरोहर राशि रू0 10000/– निविदा प्रपत्र रू0 500 + 15 प्रतिशत (कर सहित) का नकद भुगतान कर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। **5 – अल्पकालीन निविदा संख्या 142/विविमंब/2016–17** विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, बरेली के अन्तर्गत 33/11 केवी उपकेन्द्र नवनिर्मित नदौसी (क्षमता 1x5 एमवीए) के परिचालन हेतु 4 परिचालक (कुशल श्रमिक आई.टी.आई. पास) एवं लाइनों के अनुरक्षण हेतु 1 गैंग (प्रति गैंग 1 कुशल एवं 2 अकुशल श्रमिक) की आवश्यकता के सम्बन्ध में। धरोहर राशि रू0 10000/– निविदा प्रपत्र रू0 500 + 15 प्रतिशत (कर सहित) का नकद भुगतान कर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। उपरोक्त कार्य हेतु